उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2024

उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा वृहत श्रेणी के विनिर्माणक उद्यम में पूंजी निवेश के लिये अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करते हुये राज्य के आर्थिक विकास एवं अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1675(1)/VII-A-2/2021/17-उद्योग/2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 द्वारा जारी मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2021 को अवक्रमित करते हुये नयी ''उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2024'' निम्नवत प्रख्यापित किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. प्रस्तावना

राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022–23 के अनुसार वर्ष 2021–22 में राज्य के जी.एस.डी.पी. में विनिर्माणक क्षेत्र का योगदान लगभग 46 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 41 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश सं 138/एक(05)/2024/XXVI/2024, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा पृथक से उत्तराखण्ड सेवा–क्षेत्र नीति–2024 जारी की गयी है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु ''उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2023'' जारी की गयी है। वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य की सम्भावनाओं के दृष्टिगत राज्य में वृहत उद्यमों में पूंजी निवेश को और अधिक आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ''उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2024'' घोषित की जी रही है।

2. संक्षिप्त नाम

इस नीति का संक्षिप्त नाम '' उत्तराखण्ड मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2024'' है।

3. उद्देश्य

i. उत्तराखण्ड को वृहत श्रेणी के विनिर्माणक उद्यमों में पूंजी निवेश हेतु प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना।
ii. राज्य की अर्थव्यवस्था में विनिर्माणक क्षेत्र के योगदान में सतत् वृद्धि करना।
iii. संतुलित, सतत् एवं समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
iv. उद्यमशीलता, नवाचार तथा अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
v. पूंजी निवेश हेतु अनुकूल वातावरण सृजन करना।
vi. विनिर्माणक क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार सृजित करना।
vii. उद्यमों की उत्पादन क्षमता का अधिकतम प्रयोग करना।

4. रणनीति

इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये राज्य सरकार निम्नवत रणनीति के अनुसार कार्य करेगी–

i. औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये लैंड बैंक का सृजन।
ii. निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की स्थापना हेतु नीति –2023 (यथा संशोधित) के तहत औद्योगिक आस्थान स्थापना को प्रोत्साहन।
iii. उद्यम स्थापना के लिये उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की लॉजिस्टिक नीति एवं अन्य सम्बंधित नीतियों का अधिकतम उपयोग करना।

ix. **स्थायी पूंजी निवेशः** इस नीति के अंतर्गत उल्लिखित स्थायी पूंजी निवेश से तात्पर्य, वृहत उद्यमों द्वारा भवन, संयंत्र व मशीनरी एवं उत्पादन कार्य में संलग्न अन्य उपकरण और इस तरह की अन्य परिसम्पत्तियों में किया गया निवेश, जो वाणिज्यिक उत्पादन से पूर्व, अंतिम उत्पाद (End Product) के विनिर्माण के लिए आवश्यकतानुसार किया गया हो, को निम्नवत स्थायी पूंजी निवेश के विनिर्धारण के लिए गणना में लिया जाएगाः–

(क) **कार्यशाला भवनः** कार्यशाला भवन का तात्पर्य परियोजना के लिए निर्मित एक नया कार्यशाला भवन, जिसमें भण्डारण सुविधाओं, इनहाउस अनुसंधान एवं विकास, इनहाउस परीक्षण सुविधाओं और विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित भवन भी सम्मिलित हैं।

(ख) **प्लांट एवं मशीनरी (संयंत्र व मशीनरी):** प्लांट एवं मशीनरी से तात्पर्य नए संयंत्र और मशीनरी, डाइज और मोल्ड्स और ऐसे अन्य उपकरणों से है, जो उत्पाद के विनिर्माण/प्रचालन के लिए सीधे उपयोग में लाये जाते हैं। परियोजना लागत के अन्तर्गत प्लांट और मशीनरी को स्थापित करने, संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए आन्तरिक विद्युत लाईनों, स्विच बोर्ड, एमसीबी बॉक्स आदि पर किया गया व्यय, संयंत्र व मशीनरी की परिवहन लागत तथा बीमा व्यय भी सम्मिलित होगा। यदि संयंत्र व मशीनरी के संचालन के लिए विद्युत सब–स्टेशन अथवा ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किया जाता है, तो इनकी लागत भी विद्युतीकरण के अन्तर्गत आंगणित की जायेगी। प्लांट और मशीनरी में निम्नलिखित व्यय को भी सम्मिलित किया जा सकता हैः–

- गैर–पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के लिए संयंत्र।
- बिजली उत्पादन के लिए कैप्टिव पॉवर प्लान्ट। गैर पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट को प्लान्ट एवं मशीनरी के रूप में लाभ हेतु तभी गणना में लिया जायेगा जब इनसे उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इकाई द्वारा स्वयं के लिये किया जाये।
- परीक्षण उपकरण (Testing Equipment)।
- विनिर्माणक उद्यम द्वारा उत्पादन प्रक्रिया के प्रयोग हेतु स्थापित जल शुद्धि संयंत्र।
- प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के लिए संयंत्र, जिसमें संग्रह, ट्रीटमेंट, अपशिष्ट/ उत्सर्जन या ठोस/गैसीय खतरनाक कचरे के निपटाने की सुविधा सम्मिलित है। ईटीपी संयंत्र।
- बॉयलर।

x. **स्थायी रोजगार,** का अर्थ सम्बंधित उद्यम में नियोक्ता द्वारा प्रबंधन/कुशल/अकुशल श्रमिक वर्ग में नियमित रूप से पे–रोल पर नियोजित कर्मकरों/श्रमिकों से है, जिन्हें नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाता है। ठेकेदारों के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला रोजगार, स्थायी रोजगार की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा, परन्तु यदि किसी उद्यम द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से अस्थायी रोजगार उपलब्ध कराया गया है तो, थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार आंगणन के लिये प्रत्येक 4 अस्थायी रोजगार को 3 स्थायी रोजगार के समतुल्य माना जायेगा।

xi. **अस्थायी रोजगार,** का अर्थ सम्बंधित उद्यम में नियोक्ता द्वारा पंजीकृत ठेकेदार के माध्यम से रोजगार प्रदान करने से है।

xii. **थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश,** का अर्थ इस नीति के प्रस्तर–8 की तालिका के स्तम्भ–4 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणीयों के लिये कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी पूंजी निवेश से है।

xiii. **थ्रेसहोल्ड रोजगार,** का अर्थ इस नीति के प्रस्तर–8 की तालिका के स्तम्भ–5 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणीयों के लिये न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार से है।

xiv. **मानक निवेश अवधि,** का अर्थ इस नीति के प्रस्तर–8 की तालिका के स्तम्भ–6 में वृहत उद्यम निवेश की विभिन्न श्रेणीयों के लिये सिंगल विण्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम निर्धारित समय अवधि से है, जिसके अंतर्गत उद्यम द्वारा कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी में प्रस्तर–8 की तालिका के स्तम्भ–4 में वर्णित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी

इनकी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। राजकीय प्रक्रियाओं की पुनर्संरचना करते हुये इसे और अधिक युक्तिसंगत बनाया गया है। विभिन्न अनुमोदनों में स्व–प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गयी है। अप्रयुक्त नियमों/अधिनियमों का संशोधन /निरसन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियम/कानूनों का डिक्रिमिनलाईजेशन (Decriminalization) किया गया है। ई.ओ.डी.बी. के तहत व्यवसाय तत्पर (Bussiness Ready) वातावरण सृजन हेतु सतत् रूप से कार्य किया जायेगा।

v. **निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र (IPFC)**– उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर एक समर्पित **'निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केंद्र'** पहले से ही कार्य कर रहा है, जो निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत वन–स्टॉप–सेंटर के रूप में कार्य करते हुए समन्वित रूप से व्यवस्थित हैण्ड–होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रत्येक जनपद एवं राज्य स्तर पर **'निवेश मित्र'** नियुक्त कर निवेशकों को हैण्ड–होल्डिंग सपोर्ट प्रदान किया जायेगा।

vi. **उद्योग मित्र (Udyog Mitra)**– उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु त्रिस्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति", मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति" तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति" गठित की गयी है, जो उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उत्तरदायी है। उद्योग मित्र की संरचना को और अधिक प्रभावकारी बनाया जायेगा। उद्योग मित्र की बैठकों में उठाये जाने वाले विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल पर ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की जायेगी, ताकि समस्या निस्तारण हेतु यह और अधिक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी बन सके।

vii. **अनुसंधान एवं विकास (R & D)** – अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिये उद्यमों द्वारा इनहाउस स्थापित अनुसंधान एवं विकास उपकरणों को उपादान के लिये उत्पादक संयंत्र व मशीनरी के रूप में स्वीकार किया जायेगा। इण्डस्ट्री एवं विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के मध्य समन्वय को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि उद्यमों के अनुरूप अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये उद्यमों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

8. वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम एवं शर्तें

i. इस नीति के अंतर्गत निषेध सूची (संलग्नक–1) में वर्णित उद्यमों को छोड़कर राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थापित होने वाले वृहत श्रेणी (संयंत्र व मशीनरी में रूपये 50 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश स्थापित हो) के नये एवं पर्याप्त विस्तारीकरण करने वाले विनिर्माणक उद्यम वित्तीय प्रोत्साहनों के लिय पात्र होंगे।

ii. इस नीति के अंतर्गत प्राविधानित वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिये वृहत उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर निम्नवत वर्गीकृत किया गया है–

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	स्थायी पूंजी निवेश (करोड़ रू.)		न्यूनतम थ्रेसहोल्ड		मानक निवेश अवधि
	न्यूनतम	अधिकतम	पूंजी निवेश (करोड़ रू.)	स्थायी रोजगार	
1	2	3	4	5	6
लार्ज	रू0 50 करोड़ से अधिक	रू0 200 करोड़	50	50	3 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज	रू0 200 करोड़ से अधिक	रू0 500 करोड़	200	150	4 वर्ष

पर देय स्टॉम्प ड्यूटी के 50 प्रतिशत (अधिकतम रू0 50 लाख, प्रति इकाई) की प्रतिपूर्ति, इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन में आने के उपरान्त पात्रता पूर्ण करने पर की जा सकेगी।

10.2 पूंजीगत उपादान (Capital Subsidy) – वृहत श्रेणी के नये तथा पर्याप्त विस्तारीकरण वाले विनिर्माणक उद्यमों को संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के सापेक्ष वृहत उद्यम की श्रेणी के अनुसार पूंजीगत उपादान निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–3 की अधिकतम सीमा के अधीन, स्तम्भ–4 में उल्लिखित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में, पात्रता के अनुसार देय होगा–

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	पूंजीगत उपादान दर (संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)	कुल अधिकतम पूंजीगत उपादान	भुगतान अवधि
1	2	3	4
लार्ज	10 प्रतिशत	रू. 20 करोड़	8 वर्ष
अल्ट्रा लार्ज	12 प्रतिशत	रू. 60 करोड़	10 वर्ष
मेगा	15 प्रतिशत	रू. 150 करोड़	12 वर्ष
अल्ट्रा मेगा	20 प्रतिशत	रू. 400 करोड़	15 वर्ष

i. नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र उद्यम को पूंजीगत उपादान के वार्षिक किश्तों की देयता, सम्बंधित वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के लिये निर्धारित न्यूनतम थ्रेसहोल्ड (स्थायी पूंजी निवेश तथा स्थायी रोजगार) सीमा प्राप्त करते हुये, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि के उपरान्त, पात्रता परीक्षण के लिये निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि तक इकाई में किये गये कुल पात्र वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर आंगणित की जायेगी।

ii. पूंजीगत उपादान की वार्षिक किश्त का आंगणन निम्नवत किया जायेगा–

$$\text{वार्षिक पूंजीगत उपादान} = \frac{\text{कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश X पूंजीगत उपादान प्रतिशत दर}}{\text{भुगतान अवधि}}$$

10.3 पर्वतीय प्रोत्साहन (Hill Incentive)– वृहत श्रेणी के नये विनिर्माणक उद्यमों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में स्थापना के प्रोत्साहन हेतु इस नीति के प्रस्तर–9 में वर्णित श्रेणी–ए व बी के जनपदों/क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये उद्यमों को इस नीति के अंतर्गत पात्रता की शर्तें पूर्ण करने पर संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल पात्र नये स्थायी पूंजी निवेश के प्रतिशत के रूप में, निम्नवत अतिरिक्त पूंजीगत उपादान प्रस्तर–10.2 के अनुसार निर्धारित भुगतान अवधि में, वार्षिक किश्तों में देय होगा–

जनपद/क्षेत्र श्रेणी	अतिरिक्त पूंजीगत उपादान (स्थायी पूंजी निवेश का प्रतिशत)	कुल अधिकतम उपादान मात्रा			
		लार्ज	अल्ट्रा लार्ज	मेगा	अल्ट्रा मेगा
श्रेणी–ए	2 प्रतिशत	4 करोड़	10 करोड़	20 करोड़	40 करोड़
श्रेणी–बी	1 प्रतिशत	2 करोड़	5 करोड़	10 करोड़	20 करोड़

11. मार्गदर्शक सिद्धान्त

i. इस नीति का संचालन औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड के माध्यम से किया जायेगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत प्राविधानित सभी वित्तीय प्रोत्साहन हेतु सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था की जायेगी।

iii. नीति अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्रता के परीक्षण के लिए इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन में आने की तिथि अथवा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड पूंजी निवेश तथा न्यूनतम थ्रेसहोल्ड स्थायी रोजगार

(Merger/Demerger/Amalgamation/Change in Constitution) अथवा इस प्रकार के अन्य किसी माध्यम से स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन की स्थिति में, इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड से इसकी पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक सतत् रूप से मिलता रहे। पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना उक्त परिवर्तन करने वाली इकाईयों को पूंजीगत उपादान/पर्वतीय प्रोत्साहन की आगामी किश्तें देय नहीं होंगी। पात्रता अवधि तथा वित्तीय प्रोत्साहन की मात्रा/सीमा किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ायी जायेगी।

xiii. नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ के उपरान्त, पूंजीगत उपादान/पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की तिथि के 5 वर्ष तक उद्योग निदेशालय, देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा उद्योग निदेशालय, देहरादून से पूर्वानुमति प्राप्त करते हुये, राज्य की भौगोलिक सीमा में स्थानांतरण किया जाता है तो उसे स्थानांतरण की तिथि के उपरान्त इस नीति के अंतर्गत अनुमन्यतानुसार लाभ देय होंगे, परन्तु यदि इकाई द्वारा श्रेणी–ए एवं बी के क्षेत्र से बाहर स्थान परिवर्तन किया जाता है तो उसे पूर्व से प्राप्त पर्वतीय प्रोत्साहन का समायोजन पूंजीगत उपादान के साथ किया जायेगा। यदि लाभ प्राप्त इकाई द्वारा राज्य की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थानान्तरण किया जाता है तो इकाई को बंद की श्रेणी में मानते हुये तदानुसार वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

xiv. नीति अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से पूंजीगत उपादान/पर्वतीय प्रोत्साहन की अंतिम किश्त प्राप्त करने की तिथि के 5 वर्ष तक सतत् रूप से कार्यरत रहना अनिवार्य होगा। प्राकृतिक आपदा के कारणों से अधिकतम 3 माह तक इकाई बन्द रहने पर, इसे बन्द होने की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नीति अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली इकाई, उक्तानुसार निर्धारित अवधि से पूर्व यदि बन्द पायी जाती है तो, नीति अन्तर्गत प्रदत्त सभी वित्तीय प्रोत्साहन की वसूली, इकाई से साधारण ब्याज दर (तत्समय प्रवृत्त बैंक बेसरेट + 1 प्रतिशत) के साथ, भू–राजस्व सादृश्य की जा सकेगी। आपदा अथवा अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम–2012 (यथा संशोधित) के अंतर्गत गठित राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा वसूली का निर्णय लिया जा सकेगा।

xv. पहले से मौजूद किसी उद्यम के विभाजन अथवा पुनर्गठन या पहले किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग में आने वाले संयंत्र एवं मशीनरी के किसी नई इकाई में हस्तान्तरण अथवा अन्यत्र से विस्थापित इकाई नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी।

xvi. निषेध/प्रतिबन्धित सूची के उद्योग इस नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

xvii. पी.पी.पी. मोड में स्थापित तथा पी.एस.यू. के द्वारा स्थापित इकाईयां नीति के तहत किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी।

xviii. इस नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए पात्र उद्यम को अपने उद्यम में प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

xix. इकाई की बिलिंग का पता पूंजीगत व्यय एवं परिचालन उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड में स्थित होना अनिवार्य है।

xx. नीति के अंतर्गत अपंजीकृत सप्लायर द्वारा जारी बीजक तथा कैश पेमेंट के रूप में किया गया स्थायी पूंजी निवेश उपादान के आंगणन हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

xxi. इस नीति में किसी भी परिवर्तन करने का अधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित होगा। नीति में परिवर्तन की स्थिति में नीति अन्तर्गत पूर्व से लाभ प्राप्त कर रही इकाईयां, उक्त लाभ प्राप्त करती रहेंगी।

निषेध सूचीः

i. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 24 के अन्तर्गत आने वाले सभी सामान जो तम्बाकू तथा निर्मित तम्बाकू उत्पादों से सम्बन्धित हैं।

ii. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 21 के अन्तर्गत आने वाले पान मसाला।

iii. पेट्रोलियम अथवा गैस शोधशालाओं द्वारा उत्पादित केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 (1986 का 5) का प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अंतर्गत आने वाला सामान।

iv. उत्तराखण्ड शासन, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 84/XXXVIII-1-20-13(11)/2001 दिनांक 16.02.2021 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2021 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद, 120 माइक्रोन से कम मोटाई की पॉलिथीन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण।

v. ब्रिक मेकिंग (ईंट भट्टा) यूनिट्स, कन्स्ट्रक्शन कार्य।

vi. खनन तथा स्टोन क्रशर की इकाईयां (सोप स्टोन, सिलिका प्रसंस्करण एवं इसके उप–उत्पाद को छोड़कर)।

vii. पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करने वाली अथवा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) अथवा संबंधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना तथा प्रचालन हेतु अपेक्षित सहमति नहीं लेने वाली इकाईयां।

viii. भण्डारण तथा थोक व खुदरा व्यापार के दौरान संरक्षण, साफ–सफाई, प्रचालन, पैकिंग, रि–पैकिंग अथवा रि–लैबलिंग, छटनी, खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन आदि जैसे कम मूल्य संवर्द्धन के कार्यकलाप।

ix. पर्यटन सहित सेवा क्षेत्र की समस्त गतिविधियां।

x. राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त कृषि, औद्यानिक एवं सेवा गतिविधियां।

xi. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निषेध श्रेणी की सूची में सम्मिलित समस्त उत्पाद।

निवेशकों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) एवं दृष्टांत

प्रश्न 1 – इस नीति के अंतर्गत किस तिथि से किये गये निवेश को उपादान आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा ?
उत्तर – नीति के लागू होने की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली इकाईयों द्वारा उत्तराखण्ड सिंगल विण्डों पोर्टल पर कैफ (CAF) हेतु आवेदन करने की तिथि से उपादान हेतु पात्रता परीक्षण के लिये निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने की तिथि तक इकाई में किये गये कुल पात्र वास्तविक स्थायी पूंजी निवेश को उपादान आंगणन हेतु संज्ञान में लिया जायेगा।

प्रश्न 2 – मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्मेंट नीति– 2021 के अंतर्गत पी.ई.सी. प्राप्त इकाईयां, जिसने इस नयी नीति की अवधि में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है, को पुरानी नीति का लाभ देय होगा अथवा नयी नीति का लाभ देय होगा।
उत्तर – मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्मेंट नीति– 2021 के अंतर्गत पी.ई.सी. प्राप्त इकाईयां, जिसने इस नयी नीति की अवधि में उत्पादन कार्य प्रारम्भ किया है, को नयी नीति का लाभ देय होगा, परन्तु यदि इकाई ने स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति का लाभ पूर्व नीति में प्राप्त कर लिया है, तो उसे स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति को छोड़कर अन्य लाभ नयी नीति के अंतर्गत पात्रता एवं अनुमन्यतानुसार देय होगा। यदि इकाई की गतिविधि इस नयी नीति में निषेध सूची में सम्मिलित है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करते हुये मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति–2021 के अंतर्गत अनुमन्यतानुसार वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने की छूट होगी।

प्रश्न 3 – 'वृहत उद्यम' एवं 'वृहत उद्यम निवेश श्रेणी' के निर्धारण हेतु किस पूंजी निवेश को संज्ञान में लिया जायेगा ?
उत्तर – उद्यम के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश, यदि रूपये 50 करोड़ से अधिक है, तो उसे वृहत उद्यम माना जायेगा। नीति में वर्णित वृहत उद्यम निवेश की श्रेणी (लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा) के निर्धारण के लिये सम्बंधित वृहत उद्यम के कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी (भूमि एवं अन्य पूंजी निवेश को छोड़कर) में कुल स्थायी पूंजी निवेश को आंगणन में लिया जायेगा, परन्तु पूंजीगत उपादान/ पर्वतीय प्रोत्साहन के आंगणन के लिये संयंत्र, मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में पात्र कुल स्थायी पूंजी निवेश को ही संज्ञान में लिया जायेगा।

प्रश्न 4 – वृहत उद्यम निवेश श्रेणी के अंतर्गत निम्नतर श्रेणी (यथा लार्ज) के अंतर्गत आने वाली इकाई यदि मानक निवेश अवधि में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा प्राप्त करते हुये उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं कर पाती है तो क्या उसे पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाते हुये उच्चतर वृहत निवेश श्रेणी (अल्ट्रा लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की छूट होगी ?
उत्तर – हां, यदि इकाई द्वारा उच्चतर श्रेणी के लिये निर्धारित मानक निवेश अवधि में न्यूनतम थ्रेसहोल्ड सीमा प्राप्त करते हुये वाणिज्यिक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर निर्धारित समयान्तर्गत पात्रता परीक्षण एवं उपादान हेतु दावा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुमन्यतानुसार वित्तीय प्रोत्साहन के लाभ देय होंगे।

प्रश्न 5 – यदि किसी उद्यम के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम हो परन्तु संयंत्र व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से अधिक हो तो इकाई को इस नीति के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे अथवा नहीं।
उत्तर – नहीं। चूंकि इकाई के संयंत्र व मशीनरी में कुल स्थायी पूंजी निवेश रूपये 50 करोड़ से कम है, अतः यह इकाई वृहत उद्यम के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की श्रेणी में है।

दृष्टांत

पूंजीगत उपादान

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)	पूंजीगत उपादान दर	भुगतान अवधि	कुल पूंजीगत उपादान	वार्षिक पूंजीगत उपादान
लार्ज	रू0 51 करोड़	10 प्रतिशत	8 वर्ष	रू0 5.10 करोड़	रू0 0.64 करोड़
	रू0 200 करोड़			रू0 20.00 करोड	रू0 2.50 करोड़
अल्ट्रा लार्ज	रू0 201 करोड़	12 प्रतिशत	10 वर्ष	रू0 24.12 करोड़	रू0 2.41 करोड़
	रू0 500 करोड़			रू0 60.00 करोड़	रू0 6.00 करोड़
मेगा	रू0 501 करोड़	15 प्रतिशत	12 वर्ष	रू0 75.15 करोड़	रू0 6.26 करोड़
	रू0 1000 करोड़			रू0 150.00 करोड़	रू0 12.50 करोड़
अल्ट्रा मेगा	रू0 1001 करोड़	20 प्रतिशत	15 वर्ष	रू0 200.20 करोड़	रू0 13.35 करोड़
	रू0 2000 करोड़			रू0 400.00 करोड़ (अधिकतम)	रू0 26.67 करोड़

पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी–ए जनपद में स्थापित उद्यम)

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)	पर्वतीय प्रोत्साहन दर	भुगतान अवधि	कुल पर्वतीय प्रोत्साहन	वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन
लार्ज	रू0 51 करोड़	2 प्रतिशत	8 वर्ष	रू0 1.02 करोड़	रू0 12.75 लाख
	रू0 200 करोड़			रू0 4.00 करोड	रू0 50.00 लाख
अल्ट्रा लार्ज	रू0 201 करोड़	2 प्रतिशत	10 वर्ष	रू0 4.02 करोड़	रू0 40.20 लाख
	रू0 500 करोड़			रू0 10.00 करोड़	रू0 1.00 करोड़
मेगा	रू0 501 करोड़	2 प्रतिशत	12 वर्ष	रू0 10.02 करोड़	रू0 83.50 लाख
	रू0 1000 करोड़			रू0 20.00 करोड़	रू0 1.67 करोड़
अल्ट्रा मेगा	रू0 1001 करोड़	2 प्रतिशत	15 वर्ष	रू0 20.02 करोड़	रू0 1.33 करोड़
	रू0 2000 करोड़			रू0 40.00 करोड़ (अधिकतम)	रू0 2.67 करोड़

पर्वतीय प्रोत्साहन (श्रेणी–बी जनपद में स्थापित उद्यम)

वृहत उद्यम निवेश श्रेणी	कार्यशाला भवन, संयंत्र व मशीनरी में पात्र स्थायी पूंजी निवेश (उदाहरण स्वरूप)	पर्वतीय प्रोत्साहन दर	भुगतान अवधि	कुल पर्वतीय प्रोत्साहन	वार्षिक पर्वतीय प्रोत्साहन
लार्ज	रू0 51 करोड़	1 प्रतिशत	8 वर्ष	रू0 0.51 करोड़	रू0 6.38 लाख
	रू0 200 करोड़			रू0 2.00 करोड़	रू0 25.00 लाख
अल्ट्रा लार्ज	रू0 201 करोड़	1 प्रतिशत	10 वर्ष	रू0 2.01 करोड़	रू0 20.10 लाख
	रू0 500 करोड़			रू0 5.00 करोड़	रू0 50.00 लाख
मेगा	रू0 501 करोड़	1 प्रतिशत	12 वर्ष	रू0 5.01 करोड़	रू0 41.75 लाख
	रू0 1000 करोड़			रू0 10.00 करोड़	रू0 83.33 लाख
अल्ट्रा मेगा	रू0 1001 करोड़	1 प्रतिशत	15 वर्ष	रू0 10.01 करोड़	रू0 66.73 लाख
	रू0 2000 करोड़			रू0 20.00 करोड़ (अधिकतम)	रू0 1.33 करोड़